न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 82 / 2023

1 बलबीर पुत्र सुरेन्द्र कुमार
2 पूजा कुमारी पुत्री सुरेन्द्र कमार
3 संतोष पत्नी सुरेन्द्र कुमार
4 रामनिवास पुत्र गोकुलराम
5 झिमली पत्नी गोकुलराम
जाति समस्त जाट निवासीगण बास बिसना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
6 प्रियंका पुत्री सुरेन्द्र कुमार पत्नी हरकेश जाति जाट निवासी क्यामसर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 राजेन्द्र पुत्र फुलाराम
2 उम्मेद पुत्र फुलाराम
3 सुभाष पुत्र फुलाराम
जाति समस्त जाट निवासीगण बास बिसना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
4 सरोज पुत्री फुलाराम पत्नी जेलसिंह जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा, डूलाणियां, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
5 कुनणी देवी पत्नी फुलाराम जाति जाट निवासी बास बिसना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
6 सुप्यार पुत्री फुलाराम पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा, डूलाणियां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 करणीराम पुत्र कुरड़ाराम
8 रोहिताश कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति समस्त जाट निवासीगण बास बिसना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
9 बिमला पुत्री कुरड़ाराम पत्नी भजनलाल जाति जाट निवासी मोई, अमरपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 मनी पुत्री कुरड़ाराम पत्नी प्रभुदयाल जाति जाट निवासी भडुन्दा तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
11 सुमेश पुत्री कुरड़ाराम पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी भडुन्दा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
12 नानची पुत्री कुरड़ाराम पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13 सुमन पुत्री कुरड़ाराम पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14 मीना पुत्री सुरेन्द्र पत्नी जितेन्द्र जाति जाट निवासी नारी–सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
15 विनोद पुत्र गोकलराम जाति जाट निवासीगण बास बिसना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
16 सुमन पुत्री गोकलराम पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी चिड़ासन तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
17 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक झुन्झुनूं।
18 लैण्ड होल्डर कम उप पंजीयक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं दावा उनवानी राजेन्द्र जाट वगै. बनाम सुभाष जाट वगै. दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 265/2017 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिशचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 265/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 198, 359, 361/2, 382, 386, 390/2, 392, 393, 394, 395, 396, 397 वाके ग्राम बास बिसना पटवार हल्का भाटीवाड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दावा स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्टस को साक्ष्य सबूत पेश करने से वंचित रखा गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की तामील पर्याप्त मानकर अपीलान्टस के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने मे कानूनी गलती की है। अपीलान्टस की पर्याप्त तामील नहीं है। अपीलान्टस की तामील आदेश 05 नियम 17 जा.दी. के मुताबिक नही हुई। तामील रिपोर्ट सशपथ नहीं है। तथाकथित इन्कारी की तारीख व समय अंकित नहीं है। तामिली रिपोर्ट पर तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर नहीं है। तामिली रिपोर्ट पर अंकित शिशराम व बूंटीराम नामक व्यक्ति अपीलान्टस के पड़ौसी नहीं है। दावा दिनांक 20.12.2017 को दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 (वादीगण) की तरफ से यह एक स्वीकृत तथ्य रहा है कि दावा दायरी के रोज अपीलान्ट पूजा कुमारी की उम्र 12 साल रही है। अपीलान्ट बलवीर की जन्म तिथि 10.09.2002 है। इस प्रकार दावा दायरी के रोज व एकपक्षीय कार्यवाही करने के रोज अपीलान्ट बलवीर भी नाबालिग था। अपीलान्ट पूजा के विरूद्ध दावा जरिये वादमित्र किया गया। अपीलान्ट पूजा के विरूद्ध भी विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.03. 2018 को एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये। कानून से नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय ने आदेश 32 नियम 3 जा.दी. के प्रावधानों को नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव को सही मानकर अंतिम डिक्री पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की लार्जर बेंच द्वारा पारित सर्कुलेटेड निर्णय कैलाश बनाम रमेश (आरबीजे 2017 पुष्ठ 299) पर प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना नहीं की है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विभाजन प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक केड से तैयार करवाये गये है। यह भी यह स्वीकृत तथ्य है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये। विभाजन प्रस्ताव के लिए अपीलान्टस को तहसीलदार ने कोई नोटिस नहीं दिया। तथाकथित विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस की मौजुदगी में तैयार नहीं किये गये है। अपीलान्टस संख्या 6 प्रियंका पुत्री सुरेन्द्र कुमार दावा दायरी के रोज तथा विभाजन प्रस्ताव व निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करने के रोज जमीन जैर बहस की सहखातेदार थी और उक्त सहखातेदार को बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित कर कानूनी गलती है। धारा 53 आरटी एक्ट 1955 के दावा में तमाम सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते है। आदेशिका दिनांक 07.03.2018 पर अपीलान्ट संख्या 1 से 5 की तरफ से वकील का वकालतनामा प्रस्तुत करने की हिदायत अंकित है। उक्त आदेशिका पर अंकित हिदायत अनुसार अपीलान्ट संख्या 1 से 5 ने किसी को भी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया है और ना ही उपरोक्त तारीख पेशियों व दावा की अपीलान्ट संख्या 1 से 5 को कोई जानकारी रही है। वकालतनामा प्रस्तुत करने की तथाकथित हिदायत आदेशिका दिनांक 07. 03.2018 पर मनमर्जी से अपीलान्ट संख्या 1 से 5 की स्वीकृति बिना ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दर्ज की गई है। अपीलान्ट संख्या 6 प्रियंका विचारण न्यायालय के यहां पक्षकार नहीं थी। निर्णय व अंतिम डिक्री से उक्त अपीलान्ट प्रभावित है। इस प्रकार अपीलान्ट संख्या 6 को निर्णय व अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस बाबत उक्त अपीलान्ट को निर्णय व अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत दिया जाना उचित व न्यायोचित है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ, धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरटी 2011(1) पेज 602, आरआरडी 1987 पेज 456 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई अंतिम डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। अपीलांट को प्रारंभ से विचाराधीन निर्णय की जानकारी रही है। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील 5 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विचाराधीन डिक्री की पालना हो चुकी है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। अपीलांट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प चुरू)

आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। इसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक 975 दिनांक 11.07.2018 से होती है। इस पत्र में तहसीलदार स्वयं ने विभाजन प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक से तैयार करवाकर भिजवाना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं उनके आधार पर पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर पक्षकारों की आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)